न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत।

एफ.आर. संख्या–57/2026

अपराध संख्या–293/2024

आर्यन पाण्डेय बनाम मान सिंह पुत्र राम स्वरूप
निवासी ग्राम केसरियापुर
थाना से0म0उत्तरी
जिला पीलीभीत।
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–एंटी पॉवर थेफ्ट, पीलीभीत।

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

दिनॉक : 14.03.2026

प्रकीर्ण वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ।

वादी मुकदमा आर्यन पाण्डेय अवर अभियंता की ओर से संस्थित कराये गये उपरोक्त आपराधिक मामले में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में बाद विवेचना संबंधित विवेचक द्वारा अंतर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है, जिस पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। अवर अभियन्ता वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मेरे द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी थी। जिसमें पुलिस द्वारा धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बाद विवेचना अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उक्त मामले में शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण राशि जमा करा लिया गया है। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर वाद को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद में स्वयं वादी मुकदमा उक्त वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट अंतर्गत धारा 173 दं0प्र0सं0 स्वीकार की जाती है। तद्नुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
पीलीभीत।

Digitally signed by Anu Saxena
Date: 2026.03.25 11:38:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court